उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-37/2018/414/पांच-8-2018-जी0(41)/2018

लखनऊ : दिनांक 12 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2406/पांच-8-2012-म(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डॉ0 आफताब अहमद, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के क्रम में डॉ0 आफताब अहमद ने मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 05-02-2013 द्वारा डॉ0 अहमद की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गभाना, अलीगढ़ में की गयी, जहां डॉ0 आफताब अहमद द्वारा दिनांक 06-02-2013 को कार्यभार ग्रहण किया गया। साढ़े चार माह कार्य करने के उपरान्त डॉ0 आफताब अहमद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर डी0सी0एच0 करने हेतु अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। अनधिकृत अनुपस्थिति के सम्बन्घ में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-862/पांच-8-2017-ई0एम0(05)/2017, दिनांक 26-04-2017 द्वारा डॉ0 आफताब अहमद, चिकित्साधिकारी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 22-01-2018 डॉ0 आफताब अहमद, चिकित्साधिकारी को पुन: कार्यभार ग्रहण कराने हेतु शासन स्तर पर यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 22-01-2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं संगत अभिलेखों पर

क्रमश:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्यक विचारोपरान्त डॉ0 आफताब अहमद, चिकित्साधिकारी(डी0सी0एच0) को मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में प्रचलित अनुशासनिक जाँच में अन्तिम निर्णय किये जाने के उपरानत विचार किया जायेगा।

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-37/2018/414(1)/पांच-8-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डॉ0 आफताब अहमद, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसांइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीमढ़/देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती/अलीगढ़।
6- कोषाधिकारी, श्रावस्ती/अलीगढ़ ।
7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

U.o-M-N